



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 113 राँची, मंगलवार, 28 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2023

संख्या-04/नि०सं०-12-137/2014 का. 169--श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 160/20, तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप दिनांक 24.12.2020 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री ठाकुर के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई।

2. श्री धीरज कुमार ठाकुर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 160/20, तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोप के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26313(HRMS), दिनांक 17.10.2019 द्वारा श्री ठाकुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर ग्रामीण विकास विभाग की सहमति के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-16564 (HRMS) दिनांक-07.09.2022 द्वारा श्री धीरज कुमार ठाकुर, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 160/20), तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया गया।

4. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. विभागीय संकल्प सं० 16564 (HRMS) दिनांक-07.09.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं०-6227, दिनांक 20.11.2008 के अनुसार श्री ठाकुर की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफ को दिनांक- 07.11.2022 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा खोला गया।

- विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री धीरज कुमार ठाकुर के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" अनुशंसा की गई है।

6. श्री धीरज कुमार ठाकुर, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 160/20), अनारक्षित कोटि के पदाधिकारी हैं तथा इनकी कोटि में इनसे कनीय श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-161/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 3539 दिनांक-08.06.2022 के द्वारा दिनांक-24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

7. अतः वर्णित तथ्यों की सम्यकरूपेण समीक्षोपरांत श्री धीरज कुमार ठाकुर, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 160/20), सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू को उनसे कनीय श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक-161/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level-11) में प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level-11) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

8. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में श्री ठाकुर को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

9. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No- 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No- 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
